विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 3 फरवरी, 2022

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–1/2022–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को दिनांक 01–02–2022 को प्रख्यापित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, अध्यादेश के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त अध्यादेश को वर्ष 2022 के अध्यादेश संख्यांक 1 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

2022 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अध्यादेश।**

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के परन्तुक में, ''सैंतीस'' शब्द के स्थान पर ''इकतालीस'' शब्द रखा जाएगा।

(राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला

तारीख:...................2022

—————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. ORDINANCE NO. 1 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2022

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause(1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2022.

2. Amendment of section 6.—In Section 6 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (a), in the proviso, for the words "thirty seven", the words "forty one" shall be substituted.

(RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR),
Governor, Himachal Pradesh.

(RAJEEV BHARDWAJ),
Principal Secretary (Law).

SHIMLA :

Dated ………….., 2022